रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 1981/माघ 28, 1902
No. 58] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 1981/MAGHA 28, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1981

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 68(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 179-सीमा-शुल्क, तारीख 4 सितम्बर, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, शर्त (1) की मद (1) और उससे सम्बंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार ;"

[सं. 16/फा. सं. 370/117/80-सी. शु. 1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th February, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 179-Customs, dated the 4th September, 1980, namely :—

In the said notification, in condition (1), for item (i) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(i) Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development of Ministry of Industry";

[No. 16/F. No 370/117/80-CUS. 1]

सा. का. नि. 69(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 231-सीमा-शुल्क, तारीख 27 नवम्बर, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में, शर्त (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित रखी जाएगी, अर्थात् —

"(1) उद्योग मंत्रालय के तकनीकी विकास महानिदेशालय का औद्योगिक सलाहकार या अपर औद्योगिक सलाहकार ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि प्रश्नगत पुर्जे ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं या होंगे; और"

[सं. 17/फा. सं. 370/117/80-सी. शु. I]

के. चन्द्रमौली, अवर सचिव

G.S.R 69(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 231-Customs, dated the 27th November, 1980, namely :—

In the said notification, for condition (i), the following condition shall be substituted, namely :—

"(i) Industrial Adviser or Additional Industrial Adviser of the Directorate General of Technical Development of the Ministry of Industry certified that the parts in question are or will be required for the purpose specified above ; and".

[No. 17/F. No. 370/117/80-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD, NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1981